जितेन्द्र सिंह बिष्ट एवं अन्य.....बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य 8 अप्रैल 2022को

नैनीताल

रिट याचिका (S/S) No. 198 of 2019

जितेन्द्र सिंह बिष्ट और अन्य.....याचिकर्ता

सुरक्षित

बनाम्

उत्तराखण्ड राज्य उच्च न्यायालय

सुरक्षित

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य .....प्रतिवादी

श्री विनय कुमार, याचिकर्ताओं के अधिवक्ता

श्री नारायण दत्त, राज्य/प्रतिवादी संख्या 1 से 45 के लिए संक्षिप्त धारक।

श्री एन0एस0 पुंडिर, प्रतिवादी संख्या 5 के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

प्रतिः माननीय रविन्द्र मैठानी, जे.

वर्तमान याचिका में शासनादेश दिनांक 21.12.2018 को चुनौती दी गई है। जिसमें दिनांक 23.02.2014 के विज्ञापन के अनुशरण में प्रारम्भ की गई सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) की भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। याचिका कर्ताओं ने 23.02.2014 के विज्ञापन के खिलाफ काउंसलिंग/दस्तावेजों के सत्यापन के संचालन के लिए अन्य निर्देश भी मांगे है।

2. संक्षेप में बताए गए विवाद की सराहना करने के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं। प्रतिवादी संख्या 5, उत्तराखण्ड तकनीकि शिक्षा बोर्ड (संक्षिप्त में ''बोर्ड'') ने सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 23.02.2014 के एक विज्ञापन द्वारा आवेदन आंमत्रित किए गए। चयन 3089 रिक्तियों पर किया जाना था। उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन का लाभ लेने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को 10% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराया गया था। यह 2011 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 67 के अंतिम परिणम के अधीन थी। याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन के जवाब मे आवेदन किया था। बोर्ड द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। बोर्ड ने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण के तहत् निर्धारित रिक्तियों को छोडकर विभिन्न विषयों में सभी रिक्तियों पर 18.04.2016 को परिणाम घोषित किया। चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न तिथियों पर दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। कुल मिलाकर 10 बार यह अभ्यास इस प्रकार किया गया। –

क्रम सं0 दस्तावेज दिनांक की संख्या सत्यापन उम्मीदवारों की

संख्या चयनित आंमत्रित

उम्मीदवारों।

1. दौर 1 22.04.2016 2370. 2005

से

25.04.2016.

और

24.08.2016

और

28.03.2017

और

17.04.2017

और 10%

12.01.2018.से

30.06.2018

तक

और

07.09.2018

3. यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रारंभ में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के लिए निर्धारित रिक्तियों के संबंध में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया नहीं कि गई थी। इस न्यायालय ने 2015 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या 398, मनीष रावत बनाम उत्तरांण्ड राज्य और अन्य में पारित अपने फेसले में उत्तराखंण्ड राज्य आंदोलन के के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण को असंवैधानिक और अधिकारातीत घोषित किया। उसके अनुशरण मे, दिनांक 28.06.2018 की एक सार्वजनिक सूचना द्वारा, शेष 10% रिक्तियों के लिए भी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई थी , जो अन्यथा उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी के लिए निर्धारित की गई थीं। इसके बाद, दस्तावेज प्रक्रिया 7 वें दौरे से (28.06.2018से) शुरू हुई।

4. याचिकाकर्ता नम्बर 1 ने सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) गणित के पद के लिए आवेदन किया

गया था; याचिकाकर्ता संख्या 2 ने सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) विज्ञापन के पद के लिए आवेदन किया था और प्रतिवादी संख्या 3 ने सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) सामान्य विषय के पद के लिए आवेदन किया था। उन्होंने संबंधित विषयों में क्रमशः 114.75,15.75, और 100 अंक हासिल किए थे। पक्षकारों द्वारा यह स्वीकार किया गया मामला है कि पहले दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट के बाद, कट ऑफ अंक कम कर दिए गए ताकि दस्तावेज सत्यापन के लिए अन्य उम्मीदवारों को बुलाय जा सके।

5. याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि बोर्ड ने सभी विज्ञापित रिक्तियों के खिलाफ सिफरिश नहीं की, लेकिन केवल रिक्तियों के खिलाफ टुकड़े–टुकड़े तरीके से सिफारिश की है, जिसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार पाए गए थे। अचानक शासनादेश दिनांक 21.12.208 द्वारा दिनांक 23.02.2014 के विज्ञापन के अनुरूप सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) की भर्ती की प्रक्रिया रोक दिया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे अंतिम चयनित उममीदवारों के नीचे की सूची में अगले स्थान पर है; शसनादेश दिनांक 21.12.2018 विधिवत नहीं है क्योंकि इस तथ्यों की सराहना किए बिना जारी किया गया है।

6. राज्य की ओर से प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। इसके अनुसार शासनादेश दिनांक 21.12.2018 वैध एवं स्थायी है।

7. प्रतिवादी संख्याद 5 बोर्ड ने एक अलग जवाबी हलफनामा भी दयार किया है इसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 केवल एक भर्ती एजेंसी है। इसने भर्ती प्रक्रिया का संचालन किया। अभ्यर्थियों के उपस्थित न होने तथा शामिल न होने के कारण सभी अभ्यर्थियों की अनुशंसा नहीं कि जा सकी। दिनांक 21.12.2018 के शासनादेश के आधार पर मूल विभग ने प्रक्रिया रोक दी थी। तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 5 ने सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) के पद के लिए चयन/भर्ती प्रक्रिया को बंद कर दिया पक्षकारों ने पूरक हलफनामे और पूरक जवाबी हलफनामें भी दायर किए हैं।

8. पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता को सुना एंव अभिलेख का अवलोकन किया।

9. याचिककर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है कि सरकार के आदेश दिनांक 21.12.2018 द्वारा भर्ती प्रक्रिया को गलत तरीक से निरस्त किया गया है। अधिवक्ता ने अपने निवेदन में निम्नलिखित बिन्दुओं को उठाया है।–

(i) बोर्ड ने सिफारिस करने के लिए उम्मीदवारों को 10 रांउड में बुलाया। अंतिम दौर में, कुल 29

उम्मीदवारों का बुलाया गया था, लेकिन केवल 11 की सिफारिश की गई थी। इसका मतलब है, अभी भी रिक्तियां है।

(ii) मेरिट सूची नियमानूसार तैयार नहीं कि गई है। उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियम 2014 (संक्षप्ति रूप में ''नियम'') चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। नियमावली के नियम 15 (6) के अनुसार चयन सूची में रिक्तियों से 25 प्रतिशत अधिक अभ्यर्थियों के नाम होंगे। तर्क दिया गया है। कि 3089 रिक्तियों के विरूद्ध कुल 2993 नामों की सिफारिश की गई है।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करेंगे कि पिछली बार, उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 05.12.2018 को बुलाया गया था और चयनित उम्मीदवारों की सूची 21.12.2018 को अग्रषित की गई थी। शासनादेश दिनांक 30.10.2006 के आलोक में मेरिट सूची प्राप्त होने के एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रह सकती है। शासनादेश दिनांक 21.12.2018 दो आधारों पर जारी किया गया है।

(ए) कि भर्ती प्रक्रिया को जारी रखना शासनादेश दिनांक 30.10.2006 का उल्लघंन होगा और;

(बी) भर्ती एजेंसी को तब से बदल दिया गया है और उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संक्षेप में ''आयोग'') को सौंपा गया है।

11.यह तर्क दिया जाता है कि ये दोनो आधार निम्नलिखित कारणों से सही नहीं है।–

(i) शासनादेश दिनांक 30.10.2006 अन्य बातों के साथ–साथ प्रावधानित करता है कि एक चयन सूची इसकी प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। मौजूदा मामलें में, अंतिम सिफरिश बोर्ड द्वारा 21.012.2018 को की गई थी अतः चयन सूची दिनांक 20.12.2019 तक प्रभावी रहनी थी।

(ii) आयोग को पहले से ही शिक्षकों की भर्ती का काम सौंपा गया था और जिसने पहले ही 03.01. 2017 को एक विज्ञापन जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद, 08 दौर की काउंसलिंग की गई और उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। इसलिए, यह चयन प्रक्रिया को निरस्त

करने का आधार नहीं हो सकता है।

12. दूसरी ओर, बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि बोर्ड ने रिक्तियों के विरूद्ध सिफारिशें की है। यह प्रक्रिया 2014 से जारी है, लेकिन उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण सभी रिक्त्यिों के खिलाफ सिफारिशें नहीं की जा सकीं। तर्क दिया गया कि इसी बीच शासनादेश दिनांक 21.12. 2018 जारी हो गया और उसके अनुसार बोर्ड ने प्रक्रिया रोक दी।

13. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि 02.05.2016 को दस्तावेज सत्यापन के बाद बोर्ड द्वारा पहली सिफरिश की गई थी। यह तर्क दिया गया है कि उस तिथि से एक वर्ष की उक्त अवधि को शासनादेश दिनांक 30.10.2006 के प्रायोजनों के लिए गिना जाना है।

14. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने भी अपने निवेदन में निम्नलिखित बिन्दुओं को उठाया।

(i) शासनादेश दिनांक 30.10.2006 सही है।

(ii) चयन के लिए याचिकाकर्ताओं के नामों की सिफारिश नहीं की गई थी। यदि कोई व्यक्ति चयनित भी हो जाता है तो भी वह अधिकार के रूप मं नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता है।

(iii) यदि न्यायालय नियुक्ति के लिए निर्देश देता है, तो अन्य व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए प्रार्टियों के शामिल न होने के लिए याचिका खराब है।

15. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान राज्य के अधिवक्ता विधि के सिंद्धात पर भरोसा किया है, जैसा कि आंध्र प्रदेश और अन्य बनाम डी. दस्तागिरी और अन्य (2003) 5 एससीसी 373 के मामले में निर्धारित किया गया है। डी. दस्तागिरी (सुपरा) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा–

'' चयन सूची के प्रकाशन के अभाव में चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं थी। जैसा भी हो, भले ही चयन प्रक्रिया पूरी हो गई हो और यह मान लिया जाए कि केवल चयन सूची ही प्रकाशित होनी बाकी है, इससे उत्तरदाताओं का मामला आगे नहीं बढ़ता है।'' साधारण कारण यह हैं कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है और जिनका नाम चयन सूची में आ जाता। या राज्य में शराबबंदी नहीं है। यदि राज्य में शराबबंदी लागू करने के लिए किए गए एक नीतिगत निर्णय के अनुसार आबकारी विभाग में कांस्टेबलों की आवश्यकता की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो कोई भी इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि वे उम्मीदवारों को आबकारी कांस्टेबलों के रूप में नियुक्त करें।''

16. न्यायालय ने राज्य के विद्वान अधिवक्ता से मानना चाहा कि चयन सूची कौन सी है क्योंकि

प्रतिवादी संख्या 5 के अनुसार बोर्ड ने 10 चयन सूची अग्रेषित की थी? प्रथम चयन सूची दिनांक 02. 05.2016 तथा अंतिम चयन सूची दिनांक 21.12.2018 करे अग्रेषित की गई थी।

17. राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि प्रथम चयन सूची दिनांक 02.05.2016की गई थी तथा वैधता अवधि की गणना उसी तिथि से की जायेगी।

18. न्यायालय के एक अन्य प्रश्न पर कि क्या चयन सूची नियमानुसार तैयार की गई है? विद्वान राज्य अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि चयन सूची विज्ञापन के अनुसार जारी की गई थी।

19. माना जाता है कि दिनांक 23.02.2014 को सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आंमत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन सीधी भर्ती कोटा के संबंध में था 10% पदों को उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी क लिए आरक्षित रखा गया था, लेकिन बाद में, इन रिक्तियों को भी न्यायालय के निर्णय के अनुसार ''सामान्य श्रेणी'' में बदल दिया गया।

20. इस मामलें में न्यायालय ने 24.09.2021 को निम्नलिखित जानकारी मांगी।–

''प्रश्न यह है कि प्रत्येक तिथि पर कितने व्यक्तियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था और उनमें से कितने लोगों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था? उततर निम्नलिखित विवरण सहित सारणीबद्ध रूप में दिया जाना चाहिए–

(i) दस्तावेज सत्यापन की तिथि।

(ii) दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या

(iii) नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या और सरकार को सिफारिश की तारीख प्रत्येक तिथि के लिए, उपरोक्त जानकारी दी जानी चाहिए और फिर समेकित रूप से उत्तरदाता संख्या 5 भी एक बयान दे सकता है कि 3089 रिक्तियों की मांग के बाहर, कुल कितने उम्मीदवारों को बुलाया गया, कितनी सिफारिशें की गईं और कितने पद खाली रह गए, यदि काई हैं, और उसके कारण क्या हैं?

21. इसके अनुशरण में, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से दिनांक 28.10.2021 को एक पूरक हलफनामा दायर किया गया है और जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे इस निणर्य के पैरा 2 में समेकित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हलफनामें में कहा है कि दरअसल शुरूआत में 2655 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। विवरण उनके 28.10.2021 के हलफनामें के अनुबंध संख्या

1 के रूप में संलग्न था। इससे पता चलता है कि 60 प्रतिशत सीधी भर्ती के मुकाबले कुल रिक्तियां 2655 थीं, लेकिन इसके खिलाफ कुल 2993 सिफारिशें की गई। ये तथ्यात्मक पहलू हैं। याचिकाकर्ता शासनादेश दिनांक 21.12.2018 से व्यथित हैं। इस शासनादेश द्वारा दिनांक 23.02.2014 के विज्ञापन के आलोक में प्रारांम्भ की गई प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जैसा कि कहा गया,

(i)प्रकिया का जारी रहना शासनदेश दिनांक 30.10.2006 में जारी निर्देशों का उल्लंघन है।

(ii) भर्ती एजेंसी को बदल दिया गया है और इसे आयोग को सौंपा गया है।

22. यह स्थापित कानून है कि सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए राज्य का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है। शंकरसन डैश बनाम भारत संघ , (1991)3 एससीसी 47 के मामलें में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि , "जब तक परासंगिक भर्ती नियमों से संकेत मिलता हैं, तब तक राज्य का सभी या किसी रिक्ति को भरने के लिए कोई कानूनी कर्तवय नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास मनमानी तरीके से कार्य करने का लाइसेंसे है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित करणें से लिया जना चाहिए। और यदि रिक्तियां या उनमें से कोई भी हैं भरे जाने पर, राज्य उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान रकने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में परिलक्षित होता है, और किसी भी तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

23. शासनादेश दिनांक 30.10.2006 राज्य द्वारा अपने प्रतिशपथ पत्र में परिशिष्ट संख्या 3 के रूप में दाखिल किया गया है इसके अनुसार, आयोग से प्राप्त उम्मीदवारों की चयन सूची इसकी प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होनी थी।

24. विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि वर्तमान मामले में चयन सूची कब प्राप्त हुई?

25. यह स्वीकार किया जाता है कि मौजूदा मामले में नियम लागू होते है। नियमावली के नियम 15 में सीधी भर्ती के लिए भर्ती की प्रक्रिया का प्रवधान है। इसका उपनियम (6) चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। इसके अनुसार, चयन सूची में रिक्तियों से 25 प्रतिशत अधिक उममीदवारों के नाम होंगे। इसका स्पष्ट अर्थ है कि यदि 100 रिक्तियां हैं तो चयन सूची मं 125 व्यक्तियों के नाम होगें मौजूदा मामलें में, भर्ती का जिम्मा प्रतिवादी नंबर 5, बोर्ड को सौंपा गया था। इसके अनुसार, 2655 रिक्तियों के विरूद्ध कुल 2993 नामों की सिफारिश की गई थी। यह संख्या

2655 से 25प्रतिशत अधिक नहीं है। यह चयन सूची, जो वास्तव में चरणबद्ध तरीके से (10 बार) भेजी गई थी, नियमावली के नियम 15 उप–नियम (6) के अनुसार नहीं है।

26. प्रतिवादी संख्या 5, बोर्ड ने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को बुलाया और विभाग का चयन सूची अग्रेषित की। दस चुनिंदा सूचियां भेजी गईं। अंतिम सूची 21.12.2018 को अग्रेषित की गई थी यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि बोर्ड द्वारा कुल रिक्तियों को भी नहीं भर जा सका था, लेकिन उसी तारीख को शासनादेश दिनांक21.12.2018 इस आधार पर जारी किया गया था कि प्रक्रिया जारी रखने से शासनदेश दिनांक 30.10.2018 का उल्लंघन होगा।

2006। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि, जैसा कि कहा गया है, सरकार के आदेश दिनांक 30.10.2006 के अनुसार, चयन सूची आयोग से प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होनी थी। मौजूदा मामले में, अंतिम चयन सूची प्रतिवादी संख्या 5, बोर्ड द्वारा 21.12.2018 को अग्रषित की गई थी।

भर्ती की प्रक्रिया को 21.12.2018 को नहीं रोका जा सकता था। शासनादेश दिनांक 21.12.2018 उस हद तक सही नहीं है।

28. भर्ती की प्रक्रिया को समाप्त करने का दूसरा आधार यह है कि भर्ती का कार्य एक नई भर्ती एजेंसी को सौंपा गया था। याचिका के पैरा संख्या 26 में याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आयोग ने 03.01.2017 को सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया था। राज्य ने अपने जवाबी हलफनामे में इससे इनकार नहीं किया है। प्रतिवादी नंबर 5, बोर्ड ने याचिका के पैरा नंबर 27 में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावे से भी इंकार नहीं किया है यह तथ्य स्वीकार किया जाता है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि 03.01. 2017 के बाद, प्रतिवादी संख्या 5, बोर्ड ने दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को 8 बार बुलाया और 8 सिफारिशें कीं। इसलिए, यह विज्ञापन दिनांक 23.02.2014 के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आधार भी नहीं हो सकता है। इस आधार पर भी प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता था।

29. पूर्वोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, इस न्यायालय का मत है कि शासनादेश दिनांक 21.12.2018 मनमाना है, बिना किसी आधार के दिनांक 23.02.2014 के विज्ञापन के अनुसरण में भर्ती की प्रक्रिया का मनमाने ढंग से बिना किसी उचित कारण के रोक दिया गया है। अतः शासनादेश दिनांक 21.12.

2018 निरस्त किये जाने योग्य है। तदनुसार, याचिका स्वीकार करने योग्य है।

30. अब सवाल यह है कि याचिकाकर्ताओं को क्या राहत दी जा सकती है? क्या न्यायालय उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश दे सकता है? जो विज्ञापन दिनांक 23.02.2014 के अनुसार शुरू की गई थी।

31. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि अभी भी रिक्तियां है। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 5, बोर्ड ने 10 वें दौर में 29 उम्मीदवारों को बुलाया लेकिन केवल 11 उम्मीदवारों के सिफारिश की। इसका मतलब है कि तब 18 रिक्तियां थी। तत्पश्चात, यह तर्क दिया गया कि वर्ष 2017 में आयोग द्वारा सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड)के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इस न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। इसलिए याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभी भी रिक्तियां हैं।

32. यह न्यायालय रिक्तियों की उपलब्धता की जांच करने का इरादा नहीं रखता है इस न्यायालय ने सरकार के दिनांक 21.12.2018 के आदेश की वैधता की जांच की है और माना है कि यह रद्द किए जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में, उत्तरदाताओं को विज्ञापन दिनांक 23.02.2014 के अनुसरण में सहायक अध्यापकों (एलटी ग्रेड) की भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया जा सकता है।

33. याचिका स्वीकार की जाती है।

34. शासनादेश दिनांक 21.12.2018 निरस्त किया जाता है।

35. उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि उत्तरदाता संख्या 5 द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 23.02.2014 के अनुसार सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) की भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी रखें।

36. पूर्वोक्त भर्ती की प्रक्रिया आज से छः महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी। प्रतिवादी संख्या 5 नियमों के नियम 15 के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची को अग्रेषित करेगा।

(रवीन्द्र मैठानी,जे.) 08.04.2022 संजय